(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 05/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/19

बउनवान

श्री हरीश गालव निवासी हाट चौक के पास, वार्ड नं. 08, अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 22.05.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम छत्रपुरा में खसरा नं0 1201/449 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि मदरसा के नाम आवंटित की गई है जिसके आवंटन की प्रति चाही गई है। अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 23.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू को जरिये सम्मन क्रमांक 251–252 दिनांक 24.04.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 251–252 दिनांक 24.04.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/636 दिनांक 22.05.2025 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, अटरू से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक [illegible] दिनांक 06.05.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत तहसील कार्यालय, अटरू को अंतरित कर दिया गया था।

तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/2048 दिनांक 21.05.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई ग्राम छत्रपुरा के खसरा नं. 1201/449 रकबा 0.64 हैक्टर की मदरसा के नाम आवंटित भूमि के आवंटन आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी अटरू को उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 633 दिनांक 22.05.2025 से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, अटरू से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/633 दिनांक 22.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **22.05.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested